प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

पुनर्विलोकन याचिका संख्या 22/2008

याचिकाकर्ताओं: _छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरदाताओं: प्रो. (डॉ.) एस.सी. श्रीवास्तव एवं अन्य।

दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को आदेश उद्घोषित किए जाने हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

समीक्षा/पुनर्विचार याचिका क्रमांक 22/2008

याचिकाकर्ताओं छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरदाताओं _प्रो. (डॉ.) एस.सी. श्रीवास्तव एवं अन्य।

रिट याचिका क्रमांक 2318/2002 में पारित दिनांक 18.01.2006 के निर्णय की पुनर्विलोकन के लिए आवेदन

एकल पीठ : सतीश कुमार अग्निहोत्री न्यायाधीश

-

<u>उपस्थित:</u> याचिकाकर्ताओं के लिए शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील दुबे।

श्री बी.पी.गुप्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता।

श्री राजीव श्रीवास्तव, श्री मलय श्रीवास्तव , उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय 25 अप्रैल, 2011</u>

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2318/2002 (प्रोफेसर डॉ. एस.सी. श्रीवास्तव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित दिनांक 18.01.2006 के निर्णय की पुनर्विलोकन की मांग करते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं (रिट याचिका में उत्तरवादी संख्या 1 और 2) (संक्षेप में 'राज्य/उत्तरवादी) को संशोधित वेतनमान के आधार पर और यहां उत्तरवादी संख्या 2 से 4 (संक्षेप में उत्तरवादी संख्या 3 से 5')

द्वारा जारी और भेजे गए दिनांक 23.7.2005 के प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तरवादी संख्या 1 (इसमें याचिकाकर्ता) की पेंशन जारी करने का निर्देश दिया था।

2. पुनर्विलोकन याचिका 709 दिनों की देरी से दायर की गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद, दिनांक 26.04.2010 के आदेश द्वारा विलंब को माफ कर दिया गया, बशर्ते कि 10,000/- रुपये का जुर्माना अदा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.संक्षेप में, राज्य/उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्य यह है कि प्रारंभ में, उत्तरवादी क्रमांक 1 (रिट याचिकाकर्ता) (संक्षेप में 'याचिकाकर्ता') ने रिट याचिका. संख्या 2318/2002 के रूप में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित वेतनमान के आधार पर उसे पेंशन जारी करने की अनुतोष मांगी गई थी। उक्त याचिका पर इस न्यायालय ने दिनांक 18.01.2006 के आदेश (अनुलग्नक डी/1) के तहत सुनवाई की और निर्णय दिया। चूंकि रिट अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं था, राज्य/याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15834/2006 दायर की और

इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.01.2006 के आदेश पर दिनांक 17.11.2006 के आदेश (अनुलग्नक डी/2) के तहत रोक लगा दी गई। इस बीच, रिट अपील दायर करने का प्रावधान लागू हो गया। तदनुसार, डब्लू.ए. संख्या 192/2007 के तहत एक रिट अपील दायर की गई, जिसे बाद में पुनर्विलोकन याचिका दायर करने की छूट के साथ वापस ले लिया गया। इस प्रकार, यह याचिका प्रस्तुत की गई है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री दुबे ने निवेदन किया कि दिनांक 21.09.1992 की अधिसूचना (अनुलग्नक डी/3) समुचित तत्परता के बावजूद इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई जा सकी। उक्त अधिसूचना याचिकाकर्ता द्वारा याचिका संख्या 2318/002 में की गई प्रार्थना के विपरीत है क्योंकि राज्य की नीति के अनुसार, अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालयों को ग्रेच्युटी, पेंशन आदि के भुगतान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के समान अंशदान के आधार पर स्व-वित्तपोषित योजना बनानी थी। रिट याचिका में,

उत्तरवादी-कॉलेज ने उक्त परिपत्र के संबंध में इस न्यायालय के संज्ञान में कोई बात नहीं लाई।

5.याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी.गुप्ता ने निवेदन किया कि इस मामले में विबंधन का सिद्धांत लागू होगा जिसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या चूक से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सत्य मानने और ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है या अनुमति दी है तो वह व्यक्ति उस बात की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता है। इस प्रकार, राज्य/उत्तरवादीगण को अपने स्वयं के प्रवेश कृत्यों के खिलाफ कोई अन्य आधार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अर्थात सी.पी.एफ. अंशदान राज्य/उत्तरवादीगण द्वारा भेजा और स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने 01.01.1996 से लागू निजी कॉलेजों के लिए 5वें वेतन आयोग के पैमाने को मंजूरी दी। राज्य/ उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता की पेंशन तय की है। श्री गुप्ता ने आगे तर्क दिया कि समीक्षा को अपील के रूप में नहीं माना जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता और नए आधार उठाने जाने की अनुमति दिए जाने पर विचार नहीं किया जा सकता जो की याचिका में उपलप्ध नहीं थे।

6. उत्तरवादी संख्या 2 से 4 (रिट याचिका में उत्तरवादी संख्या 3 से 5) के विद्वान अधिवक्ता श्री मलय श्रीवास्तव के साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि राज्य/उत्तरवादी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.1992 के परिपत्र के आधार पर पारित दिनांक 18.01.2006 के आदेश की पुनर्विलोकन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसे न तो रिट न्यायालय में और न ही अपीलीय न्यायालय में दायर किया गया। इस प्रकार, वर्तमान याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 के नियम 90(1) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन से ग्रस्त है। श्री श्रीवास्तव ने आगे प्रस्तुत किया कि इस पुनर्विलोकन याचिका के आधार पर, राज्य/उत्तरवादी मामले की नए सिरे से सुनवाई की मांग कर रहे हैं दिनांक 18.01.2006 के आदेश में सुनवाई के दौरान उठाए गए सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया गया है और तर्क दिए गए हैं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और अभिलेखों को देखने पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह पुनर्विचार याचिका पोषणीय नहीं है। जहाँ तक दिनांक 21.09.1992 के परिपत्र का संबंध है, वह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारित दिनांक 30.05.1992 के आदेश के पूरक परिपत्र के रूप में जारी किया गया था।

7.पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवेचन एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.इस आधार पर पुनर्विलोकन की माँग की गई है कि रिट याचिका की सुनवाई के समय दिनांक 21.09.1992 का आदेश (अनुलग्नक डी/3) समुचित तत्परता से उपलब्ध नहीं कराया जा सका। हालाँकि, उक्त आदेश के को देखते हुए, रिट याचिका में पारित दिनांक 18.01.2006 के आदेश की पुनर्विलोकन की जा सकती है क्योंकि पेंशन प्रदान करने का संपूर्ण दायित्व गैर-शासकीय महाविद्यालय, वर्तमान मामले में, रिट याचिका के उत्तरवादी क्रमांक 3 से 5, का है।

9.निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता 31.01.2001 को उत्तरवादी महाविद्यालय से प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) के पद से अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात, उत्तरवादी महाविद्यालय के प्राचार्य ने दिनांक 24.02.2001 के पत्र (रिट याचिका क्रमांक 2318/2002 के अनुलग्नक पी/11) के माध्यम से, छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा आयुक्त को याचिकाकर्ता की पात्रता का विवरण देते हुए सूचित किया। राज्य/उत्तरवादीगण ने दिनांक 20.08.2001 के पत्र (अनुलग्नक पी/12) द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(20) महाविद्यालयों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1.1.96 में पेंषन देय नहीं है। अतः पेंषन फर्मा के संबंधित भाग वेतनमान 3700-5700 में निर्धारित करवाकर लोकल फण्ड से प्रमाणित करवायें तथा इसी वेतनमान के अनुसार अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र भी संलग्न कर प्रेषित करें। साथ अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। प्रारूप में

पूर्णतः भरकर भेजें एवं भविष्य अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र इसी प्रारूप में स्वीकार्य होगा।"

10. तत्पश्चात, उत्तरवादीगण महाविद्यालय के प्राचार्य ने दिनांक 04.10.2001 के पत्र (अनुलग्नक पी/13) द्वारा, अंतिम प्राप्त वेतन अर्थात रु. 3700-5700/- के आधार पर गणना के आधार पर, याचिकाकर्ता के पेंशन विवाद का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा जमा सी.पी.एफ. राशि पहले ही शासन को भेजी जा चुकी थी। उप संचालक, (वित्त), आयुक्त कार्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ने 16.01.2002 को पेंशन की अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत कर उत्तरवादी महाविद्यालय को भेज दी (अनुलग्नक पी/14) और उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी भेज दी। तदनुसार, प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बिलासपुर को एक नोट भेजा गया और राज्य शासन द्वारा पेंशन भुगतान आदेश भी पारित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय ने उत्तरवादी महाविद्यालय द्वारा तैयार दिनांक 23.07.2005 के प्रमाण पत्र, जिसमें याचिकाकर्ता के सी.पी.एफ. अंशदान का विस्तृत विवरण दिया

गया था, के आधार पर रिट याचिका में आदेश पारित किया। दिनांक 21.09.1992 का आदेश और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सचिव विभाग, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल को भेजा गया दिनांक 30.05.1992 का पत्र (अनुलग्नक डी/4) इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसमें यह टिप्पणी की गई कि यदि आयोग पेंशन योजना के प्रयोजनार्थ अंशदायी भविष्य निधि लागू करने की योजना बनाते समय, अनुदान राशि में वृद्धि नहीं की जाएगी। उपरोक्त सूचना के आधार पर, राज्य सरकार ने दिनांक 21.09.1992 के आदेश द्वारा निर्णय लिया कि अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी 01.04.1987 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान पेंशन, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन और कम्यूटेशन के हकदार होंगे। यह भी स्पष्ट किया गया कि पेंशन योजना लागू करने के लिए, राज्य सरकार कोई अतिरिक्त अनुदान प्रदान नहीं करेगी। पेंशन योजना अंशदायी निधि, कर्मचारियों के सीपीएफ और नियोक्ता की ओर से अंशदान के आधार पर होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस मामले में विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा क्योंकि संबंधित अधिसूचना/आदेश को न्यायालय के संज्ञान में उचित तत्परता से नहीं लाया गया था और दूसरी बात, पेंशन का निर्धारण तो हो गया था, लेकिन नियोक्ता या राज्य सरकार द्वारा भुगतान के संबंध में राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया था। इसलिए, इस तर्क के समर्थन में रिट याचिका द्वारा उद्धृत विभिन्न मामलों पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. पुनर्विलोकन याचिका में मुद्दा यह है कि क्या पुनर्विलोकन याचिका में इस न्यायालय के संज्ञान में लाए गए दिनांक 21.09.1992 के ज्ञापन (अनुलग्नक डी/3) के आधार पर, राज्य/उत्तरवादी या रिट याचिका में उत्तरवादी संख्या 3 से 5, याचिकाकर्ता को संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 23.7.2005 के प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन के भुगतान के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा पुनर्विलोकन की मांग नहीं की गई है।

14. संपूर्ण पत्राचार के अवलोकन और दिनांक 21.09.1992 के ज्ञापन/आदेश के आलोक में, जिसमें कहा गया था कि पेंशन का भुगतान अनुदान प्राप्त उत्तरवादी-कॉलेज को करना है, रिट याचिका में या उसके बाद दिनांक 21.09.1992 के ज्ञापन/आदेश के विपरीत कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र में निर्धारित संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान करना उत्तरवादी-कॉलेज की ज़िम्मेदारी है।उत्तरवादी संख्या 3 से 5, राज्य/उत्तरवादीगण से सी.पी.एफ. और अन्य कोई भी राशि, जो भी कानून द्वारा अनुमेय हो, वापस करने का अनुरोध कर सकते हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ता को रिट याचिका में पारित दिनांक 18.01.2006 के आदेश के अनुसार पेंशन के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पूर्वगामी देखते हुए, याचिका संख्या 2318/2002 में पारित दिनांक 18.01.2006 के आदेश (अनुलग्नक डी/1) के पैरा 4 को इस सीमा तक संशोधित

किया जाता है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 से 5 याचिकाकर्ता की पेंशन यथाशीघ्र जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त आदेश का पैरा 6 हटा दिया गया है।

17. तदनुसार, पुनर्विलोकन याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अस्वीकरणः</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- Yogita Naik, Advocate